नव भारत

गांवों में 48 .32 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराएगी सरकार : सीएम

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जून. राज्य सरकार अब गांवों में आबादी की 48.32 लाख निजी संपत्तियों का अपने खर्च पर रजिस्ट्री कराएगी. इस पर कुल 3800 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इससे ग्रामीण अब अपनी निजी संपत्तियों पर बैंकों से कर्ज भी ले सकेंगे.

कैबिनेट ने मंगलवार को स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 को हरी झंडी दे दी है. निर्णय के तहत प्रदेश में स्वामित्व योजना में जिन भू-खण्डधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं उन्हें आसानी से ऋ ण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाएगा. इसके लिए डीड ऑफ कन्वेयेंस का निष्पादन एवं पंजीयन किया जाएगा ताकि नागरिक जरुरत के मुताबिक गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि कार्यों आदि के लिए ऋ ण प्राप्त कर सकेंगे. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. अब तक कुल 68.11 लाख अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया गया है. इसमें 48.32 लाख निजी संपत्तियां शामिल है. अधिकार अभिलेखों के पंजीयन के लिए नागरिकों से स्टॉम्प ड्यूटी अथवा पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

मप्र पहला राज्य होगा जहां ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के नागरिकों के भू-खण्ड संबंधी अधिकार दिया जा रहा है. स्वामिव योजना में मप्र के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी में निवासरत नागरिकों को उनका वैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए अधिकार अभिलेखों का निर्माण ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए किया गया है. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने, प्रक्रिया निर्धारण, समय-समय पर

समीक्षा के लिए आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा. इस समिति में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, आयुक्त कोष एवं लेखा, आयुक्त,संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक एमपीएसईडीसी, सदस्य होंगे एवं जरुरत के मुताबिक विषय विशेषज्ञों को संयोजित किया जा सकेगा. योजना की गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य स्तर पर 10 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है.

यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए

- जिला न्यायालय भवन, पिपल्याहाना, इंदौर के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत 626 करोड़ 61 लाख रूपये की स्वीकृति.
- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के प्रारूप को मंजूरी.
- मप्र उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026के प्रारूप का अनुमोदन.
- फिल्म तन्वी द ग्रेट और शतक : संघ के 100 वर्ष को एसजीएसटी. से छूट के निर्णय का अनुसमर्थन.
- बरगी जलाशय दुर्घटना की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन का अनुसमर्थन.

आठवीं तक दो जोड़ी गणवेश देगी सरकार

प्रदेश में अब राज्य सरकार पहली से आठवीं तक के स्कूली बच्चों को सिली-सिलाई गणवेश देगी. कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक विद्यार्थियों को सत्र 2026-27 गणवेश मिलेगा. निविदा प्रक्रिया के लिए मप्र पाठ्यपुस्तक निगम को अधिकृत किया गया है. बच्चों को दो जोड़ी गणवेश दिए जाएंगे.

स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं बरकरार रहेंगी

कैबिनेट ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत लगभग 17 हजार 59 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है. मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालय योजना 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 14,363.95 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है.

भोजशाला : सरस्वती लोक बनाएगी सरकार

अनौपचारिक कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जून. धार स्थित भोजशाला परिसर में राज्य सरकार भव्य सरस्वती लोक बनाएगी, यहां राजा भोज संस्थान की स्थापना भी की जायेगी.

यह जानकारी मंगलवार को अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को दी. इस दौरान सीएम ने कहा कि राजा भोजपाल द्वारा स्थापित यह भोजशाला सदियों तक ज्ञान-विज्ञान-अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केन्द्र रहा है. यहां दूर-दूर से विद्यार्थी और विद्वान ज्ञान अर्जित करने और शास्त्रों पर विमर्श करने आते थे. राज्य सरकार भोजशाला के उसी गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए सभी जरूरी प्रयास करेगी. राजा भोज की कर्मस्थली धार में राजा भोज शोध संस्थान की भी स्थापना की जायेगी. भोजशाला के लिए हुए आंदोलन में शहादत देने वाले तीन शहीदों स्व. बनसिंह, स्व. अंतरसिंह एवं स्व. लक्ष्मण सिंह के निकटतम परिजन को राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी

सीएम ने कहा कि इससे हमें अधिक से अधिक सुझाव प्राप्त हो सकेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 26 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र सेवा के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी. सीएम ने प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर भी मंत्रियों को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोविड को छोड़कर प्रदेश में विगत 10 वर्षों में इस वर्ष सर्वाधिक 104.36 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है. समर्थन मूल्य पर 13 लाख 42 हजार किसानों द्वारा गेहूं का विक्रय किया गया, जो कि गेहूं विक्रय करने वाले किसान संख्या की दृष्टि से पूरे भारत में सर्वाधिक है. मप्र, पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है.

जायेगी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर समान नागरिकता संहिता का जिक्र किया और इस संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए बने वेबसाईट की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि जिलों में उच्च स्तरीय समीति द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, जहां जन सामान्य, राजनीतिक दल, गैर शासकीय संगठन आदि इस संबंध में अपना मत प्रस्तुत करेंगे. सुझाव देने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रिगण को यूसीसी के लिये बनी इस उच्च स्तरीय समिति और इसके कार्यों तथा वेबसाईट का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए.

पत्नी ने की डंडे से पीटकर पति की हत्या

वारदात के बाद पत्नी ने थाने पहुंचकर किया आत्मसमर्पण

छतरपुर, 2 जून. सिविल लाइन थाना क्षेत्र की शिवनगर कॉलोनी में सोमवार रात पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि एक महिला ने गुस्से में अपने पति पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद महिला स्वयं सिविल लाइन थाने पहुंची और पुलिस को पूरी जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

जानकारी के अनुसार अनगौर क्षेत्र निवासी दीनदयाल कुशवाहा (30) का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था. सोमवार को वह अपनी पत्नी के मायके शिवनगर कॉलोनी आया हुआ था. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी

शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान पति द्वारा बेटी को लेकर अपशब्द कहे गए, जिससे महिला आक्रोशित हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने डंडे से पति पर कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से दीनदयाल की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद महिला सीधे सिविल लाइन थाने पहुंची और पुलिस को वारदात की जानकारी दी. थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.

पुलिस के अनुसार महिला का कहना है कि उसका पति वर्षों से उसके साथ मारपीट करता था. उसने गुस्से में हमला किया, लेकिन उसका इरादा पति की जान लेने का नहीं था. फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा. इस घटना के बाद दंपती के दो छोटे बच्चों- करीब 6-7 वर्षीय बेटी और 4 वर्षीय बेटे के सामने गंभीर पारिवारिक संकट खड़ा हो गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

25 लाख रुपये की स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार

शिवपुरी. मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में फिजिकल कॉलेज थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 25 लाख रुपये मूल्य की स्मैक, नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के कर्बला पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके पास से 106 ग्राम स्मैक और 52 हजार रुपये नकद बरामद हुए. गिरफ्तार आरोपी की पहचान ग्वालियर निवासी रामनिवास रावत उर्फ करुआ रावत के रूप में की गई है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री से मिली विधायक छाया मोरे

सिंचाई परियोजनाओं और नहरों में पानी छोड़ने की मांग

खंडवा, 2 जून. पंधाना विधायक छाया मोरे ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर क्षेत्र की सिंचाई एवं पेयजल समस्याओं से जुड़े मुद्दे उठाए. उन्होंने किसानों और ग्रामीणों को राहत देने के लिए छैगांव माखन एवं भाम-राजगढ़ नहर परियोजना से तत्काल पानी छोड़े जाने की मांग की.

विधायक मोरे ने मुख्यमंत्री से घावरिया माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना को शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति देने का भी आग्रह किया. प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से पंधाना, झिरनिया और नेपानगर क्षेत्र के लगभग 8987 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.

उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत इंदिरा सागर नहर तंत्र से जल लेकर चरणबद्ध पंपिंग व्यवस्था के माध्यम से ऊंचे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जाएगा. इससे खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर जिलों के 28 गांवों को लाभ मिलने की संभावना है. विधायक ने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन से किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा और वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता कम होगी. उन्होंने मुख्यमंत्री से किसान हित में परियोजना को शीघ्र मंजूरी और आवश्यक बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया.

कोतवाली परिसर में भिड़े दो आरक्षक

सतना. सिटी कोतवाली थाना परिसर में दो आरक्षकों के बीच विवाद का मामला सामने आया. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसमें दोनों आरक्षक आपस में बहस करते और एक-दूसरे को धमकाते हुए दिखाई दिए. यह घटना 30 मई की रात की बताई गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली परिसर में पदस्थ आरक्षक लाखन और आरक्षक देवेंद्र सिंह किसी बात को लेकर आपस में उलझ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे तीखी बहस में बदल गई. विवाद के दौरान दोनों ने एक-दूसरे को चेतावनी भी देने लगे. स्थिति बिगड़ती देख मौके पर मौजूद एक अन्य आरक्षक ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया.

गांधी प्रतिमा विरूपित करने वाले आरोपी गिरफ्तार

रायसेन, 02 जून. पुलिस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले आरोपियों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए घटना के महज दो घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है. 2 जून को महामाया चौक रायसेन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कचरा फेंककर प्रतिमा को विरूपित करने का प्रयास किया गया.

सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के

विरुद्ध अपराध धारा 3 म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई. इस मामले में पुलिस टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल एवं उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया, साथ ही मुखबिर तंत्र की सहायता से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित की गई.

शराब की लत से परेशान पत्नी और बेटे ने की हत्या, दोनों गिरफ्तार

उज्जैन. मध्यप्रदेश में उज्जैन जिले के तराना थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक की शराब की लत और आए दिन होने वाले विवादों से परेशान होकर दोनों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार एक जून को कनासिया क्षेत्र स्थित आमडी के खाल में एक व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर जांच शुरू की.

5 दिनों में गर्भावस्था समाप्त कर डीएनए रखें सुरक्षित

पीड़ित नाबालिग के मामले में हाईकोर्ट ने दिये आदेश

जबलपुर, 2 जून. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन ने बलात्कार पीड़ित नाबालिग किशोरी की गर्भावस्था पांच दिनों में समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि गर्भावस्था समाप्त करने के दौरान भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखा जाये। जिसका इस्तेमाल अपराध की जांच में किया जाएगा।

मंडला जिला न्यायालय के द्वारा नाबालिग बलात्कार पीडित की गर्भावस्था समाप्त किये जाने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में प्रकरण भेजा गया था। जिसमें कहा गया था कि आरोपी के

खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में पास्को सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। एकलपीठ ने संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए बलात्कार पीडित की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये किये थे।

मेडिकल बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट में पेश की गयी रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़ित की उम्र 17 साल है और 11 मई 2026 की गयी जांच के अनुसार उसकी गर्भावस्था 5 हफ्ते 4 दिन थी। बोर्ड की राय है कि गर्भावस्था को इस चरण में मेडिकल तरीके से खत्म करना सुरक्षित रूप से संभव है।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान में पीड़िता की गर्भावस्था का समय 7 से 8 हफ्तों के बीच है। गर्भवती महिला यौन उत्पीड़न की शिकार है। पीडित गर्भावस्था समाप्त किये जाने के पक्ष में है। एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए मेडिकल तरीके से पीडित की गर्भावस्था पांच दिनों में खत्म करने का निर्देश जारी किये है। संबंधित जिला अस्पताल पीडित को सभी मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाये। भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखा जाए,जिसके उपयोग अपराध की जांच में किया जाएगा।

बशीर बद्र की स्मृति में स्थापित होगा साहित्यिक पुरस्कार : संस्कृति मंत्री

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र के निधन पर उनके ईदगाह कॉलोनी स्थित निवास पहुंचकर परिजनों से शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं. इस दौरान उन्होंने बशीर बद्र की साहित्यिक विरासत को याद करते हुए कहा कि उनकी स्मृति में मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया जाएगा.

मंत्री लोधी ने बशीर बद्र की पत्नी डॉ. राहत बद्र और पुत्र तैयब बद्र से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने चर्चा के दौरान बशीर बद्र की चर्चित गजलों और

अशआर का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका साहित्य केवल शायरी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, करुणा और सामाजिक सरोकारों का जीवंत दस्तावेज है. उनकी रचनाओं ने पीढ़ियों को प्रभावित किया है और आगे भी करती रहेंगी. मंत्री लोधी ने कहा कि वे लंबे समय से बशीर बद्र की रचनाओं के प्रशंसक रहे हैं और विभिन्न अवसरों पर उनके शेर उद्धृत करते रहे हैं.

कार्रवाई लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला

80,000 की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार

जबलपुर, 2 जून . लोकायुक्त ने शहपुरा तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक (आरआई) करण सिंह लोधी को सीमांकन के बदले 80,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

जानकारी अनुसार संगम कॉलोनी उखरी, निवासी रोहित जैन ने लोकायुक्त एसपी को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके एक व्यापारी मित्र ने शहपुरा तहसील के ग्राम कुलोन में जमीन खरीदी थी. इस जमीन के सरकारी सीमांकन के बदले आरोपी राजस्व निरीक्षक करण सिंह लोधी (56) 1,00,000 की मांग कर रहा था. शिकायत की

सत्यता जांचने के लिए लोकायुक्त ने सत्यापन कराया. इस दौरान आरोपी आरआई 80,000 लेने पर राजी हो गया. आज लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया. जैसे ही आरोपी करण सिंह लोधी ने कटंगा के रतन कॉलोनी में आवेदक से 80,000 की नकद राशि ली, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ सहायक लेखापाल

शहडोल. जिले के ब्योहारी तहसील कार्यालय में सहायक खंड लेखापाल लल्लू प्रजापति को मंगलवार को रीवा लोकायुक्त टीम ने 75,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोपी पर सरकारी मकान से जुड़े एक प्रकरण को निपटाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है. लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार, बाणसागर निवासी रमेश प्रसाद रजक ने शिकायत की थी. रमेश प्रसाद रजक नगर परिषद खांड की उपाध्यक्ष सुधा रजक के पति हैं. उनकी शिकायत थी कि सरकारी मकान से संबंधित मामले को सुलझाने और उस पर से कब्जा हटाने के नाम पर सहायक

खंड लेखापाल उनसे रिश्वत की मांग कर रहा था. शिकायत की पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त टीम ने एक जाल बिछाया. तय योजना के तहत मंगलवार को शिकायतकर्ता रमेश प्रसाद रजक आरोपी लल्लू प्रजापति को रिश्वत की दूसरी किश्त के रूप में 75,000 रूपये देने पहुंचे. जैसे ही आरोपी ने यह राशि ली, पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया.

गोहद के सीएमओ को हटाया

नपा अध्यक्ष को दिया था नोटिस

भिंड, 2 जून . नगर पालिका गोहद में अध्यक्ष और सीएमओ के बीच चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. नगरीय प्रशासन विभाग ने गोहद सीएमओ का प्रभार हटाते हुए भिंड नगर पालिका सीएमओ यशवंत वर्मा को गोहद की जिम्मेदारी सौंपी है. यह कार्रवाई उस विवाद के बाद हुई है जिसमें सीएमओ ने अध्यक्ष को उनके घर पर लगे सरकारी एसी को वापस करने के लिए नोटिस थमाया था.

प्रभारी सीएमओ महेश जाटव ने गोहद नपा अध्यक्ष मंजू जगदीश माहौर को नोटिस भेजकर उनके घर पर लगे एसी को कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा था. इस पर अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया

था कि वे घर से भी कार्यालयीन कार्य करती हैं, इसलिए वहां एसी लगाया गया है. उन्होंने सीएमओ पर भेदभाव करने समेत अन्य गंभीर आरोप भी लगाए थे. इसी बीच संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा जारी आदेश में प्रशासनिक कार्य सुविधा का हवाला देते हुए कई अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं. इस आदेश की सूची में 11वें नंबर पर यशवंत वर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद भिंड का नाम है, जिन्हें अब अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ नगर पालिका परिषद गोहद का अतिरिक्त प्रभार अस्थाई रूप से सौंपा गया है.